भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **476**
दिनांक 4 फरवरी , 2021 / 15 माघ, 1942 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>उमरा वीजा</u>

476. **श्री असादुद्दीन ओवैसी:**
श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या दस माह बाद उमरा वीजा फिर से शुरू किया गया है;
(ख) यदि हां, तो क्या इन तीर्थयात्रियों के लिए सऊदी अरब तक कोई नियमित उड़ान नहीं है;
(ग) यदि हां, तो क्या उड़ानों के नियमित प्रचालन आरंभ होने तक 'एयर बबल' के अंतर्गत सऊदी अरब तक सीधी उड़ान आरंभ करने की तुरंत आवश्यकता है; और
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तीर्थ यात्रियों की मांग पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)</u>

(क): सऊदी अरब ने कोविड-19 महामारी के कारण, 22 सितम्बर, 2020 से भारत से सीधे आने वाले यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। कान्सुलेट जनरल ऑफ इण्डिया जद्दाह ने यह सूचित किया है कि सऊदी हज एवं उमरा मंत्रालय ने, उमरा तीर्थयात्रियों को लाने के लिए भारतीय उमरा पर्यटन प्रचालकों को लाइसेंस जारी किए हैं, तथापि, उमरा वीजा परिवहन सहित, विभिन्न लाजिस्टिक व्यवस्थाओं से जुड़ा है, और इस प्रकार भारतीय उमरा पर्यटन प्रचालकों को उमरा वीजा जारी नहीं किया गया है।
(ख) से (घ): वर्तमान में, भारत और सऊदी अरब के बीच कोई अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाएं प्रचालन में नहीं हैं। भारत द्वारा, सऊदी अरब को, एयर बबल करार प्रस्ताव, पहले ही भेजा जा चुका है।

*****